न्तरण स्थलों पर दबाव कम हो जायेगा जिससे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को खाद्यान्नों की सप्लाई करने की स्थिति में सुधार हो जायेगा। स्टाकयार्डों को नमक, सीमेंट और इस्पात की ढुलाई करने से मीटर लाइन पर भी फालतू क्षमता उपलब्ध हो जायेगी। मीटर लाईन प्रणाली पर उपलब्ध फालतू क्षमता का उपयोग सामान्य खपत की अन्य वस्तुओं की ढुलाई के लिए किया जा सकेगा। रेलों को आशा है कि इन उपायों से इस क्षेत्र की परिवहन संबंधी आवश्यकताएं संतोषप्रद स्तर तक पूरी हो जाएंगी।

Decentralisation of Railways

8449. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a proclaimed policy of Government to decentralise the working of the Railways;

(b) whether the transfers of Directors and Deputy Director from Zonal Railways to the Railway Board offices in Delhi are in consonance with that policy;

(c) whether these senior officers are engaged in monitoring the day to day operations and maintenance works of the Railways; and

(d) whether this work was previously looked after by the Commercial Departments of various Zonal Officers?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) Yes. The policy is to achieve maximum possible decentralisation.

(b) There are no Directors or Deputy Directors in Zonal Railways. Officers from Railways are posted as Directors, etc., in Railway Board on deputation.

(c) Yes.

(d) No.

कैरिज एण्ड वैगन्स विभाग के कर्मचारी

8450. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया कैरिज काऊंसिल के आह्वान पर कुछ महीने पहले कैरिज एण्ड वैगन्स विभाग के कर्मचारियों को देश भर में नियमानुसार कार्य आन्दोलन का सहारा लेना पड़ा ;

(ख) यदि हां, तो इस आन्दोलन के संबंध में अनेक कर्मचारियों को दंडित किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो दण्डित किये गये कर्मचारियों की जोन वार संख्या क्या है ; और

(घ) इन कर्मचारियों को दोष मुक्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और यदि इन मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इस के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

(क) से (घ) आल इंडिया कैरिज एण्ड वैगन स्टाफ काउंसिल ने, जो एक गैर मान्यता प्राप्त निकाय है, अपनी मांग मनवाने में कथित असफलता के कारण 16–8; 80 से "नियमानुसार कार्य" करने का अवैध आन्दोलन शुरू किया था। इस आन्दोलन के सम्बन्ध में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध निम्नलिखित कार्यवाही की गई थी :—